



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092022-238582
CG-DL-E-03092022-238582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]
No. 426]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

विद्युत मंत्रालय
(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)
आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(13).—जबकि मेसर्स करूर ट्रान्समिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-110021 है, ने पारेषण योजना “चरण-1 के अंतर्गत करूर/तिरुपुर विंड एनर्जी ज़ोन (तमिलनाडु) (1000 मेगावाट) में आरई स्रोतों से विद्युत निकासी” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division/278-279 दिनांक 17.11.2021 के द्वारा पारेषण योजना “चरण-1 के अंतर्गत करूर/तिरुपुर विंड एनर्जी ज़ोन (तमिलनाडु) (1000 मेगावाट) में आरई स्रोतों से विद्युत निकासी” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए करूर ट्रान्समिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स करूर ट्रान्समिशन लिमिटेड ने 01.03.2022 (इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका और दिनमणि) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 09.04.2022 से 15.04.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स करूर ट्रान्समिशन लिमिटेड ने 20.06.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना करूर ट्रान्समिशन लिमिटेड के अंतर्गत “चरण-1 के अंतर्गत करूर/तिरुपुर विंड एनर्जी ज़ोन (तमिलनाडु) (1000 मेगावाट) में आरई स्रोतों से विद्युत निकासी” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ

के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाइन हैं:

1. पुगलूर - पुगलूर (एचवीडीसी) 400 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ करूर पीएस में (क्वाड मूज़ एसीएसआर कंडक्टर के साथ)

इस योजना के अंतर्गत आवरित पारेषण लाइनें तमिलनाडु राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

राज्य: तमिलनाडु

गाँवों का नाम	तहसील	जिला
मोत्तक्लीवलासु, मुत्तुनायक्कनुर, सुब्रमण्यकवुंडनवलासु, ओरंबुपलैयम, वट्टामलाई करई, गणपतिपलैयम, कुमारपलैयम, सर्वकरनपलैयम, पुडुर, चेट्टीपलैयम, कट्टूर, कुरिचिवलासु, सरवनकावुंडनवलासु, अंडिपलैयम, लक्कामनयक्कनपट्टी	कंगायम	तिरुपुर
मुलप्पलैयम, कस्तूरीपलैयम, गणेशपुदुर, कुंबमपलैयम, सेंडलैयमपलैयम, वडक्कुवलासु, अन्नानगर, थंगामेद, नायकनपुदुर, पुडुप्पई, पट्टाटिपलैयम, लिंगमनायकनपलैयम, मुलैयमपुंडी, चिन्ना मुलैयमपुंडी, कराइवलासु, तुरंबडी, ओलाप्पलैयम, गुरुनाथनकोट्टई, अक्करायपलैयम, येलप्पलैयम, तोत्तियापलैयम, पुलियम्पट्टी, वट्टक्लीवलासु, परक्कादई, एल्लाप्पलैयम, नल्लासेलीपलैयम, पलानिकवुंडनवलासु, करुप्पनवलासु, नालुरोडु, कुमारय्यापलैयम, सनारपलैयम, नट्टापलैयम, वल्लीयप्पंकवुंडनवलासु, कुलंडिकावुंडनवलासु, पेरायमियम, चिन्नियाकावुंडनवलासु, पम्मीपलैयम, नैनकावुंडनवलासु, पेरियन्नाकावुंडनवलासु, उत्तमाकवुंडनवलासु, संबलतोडुम, नट्टरमंगलम, तत्तरवलासु, मोलक्कावुंडनवलासु, रक्कियावलासु, पुलियमपट्टी, तलक्कारई	धारापुरम	तिरुपुर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, करूर ट्रान्समिशन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- (vi) करूर ट्रान्समिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./248/2022-23]

MINISTRY OF POWER
(Central Electricity Authority)

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2022

F. No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM Division-Part(13).—Whereas M/s Karur Transmission Limited, the applicant with its registered office at C 105, Anand Niketan, New Delhi – 110 021, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Evacuation of power from RE sources in Karur / Tiruppur Wind Energy Zone (Tamil Nadu) (1000MW) under Phase-1”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division/278-279 dated 17.11.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Karur Transmission Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme “Evacuation of power from RE sources in Karur / Tiruppur Wind Energy Zone (Tamil Nadu) (1000MW) under Phase-1”.

M/s Karur Transmission Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 01.03.2022 (The Indian Express, Rajasthan Patrika, Dinamani) and in Weekly Gazette of India dated 09.04.2022 to 15.04.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Karur Transmission Limited has submitted an affidavit dated 20.06.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers/Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Evacuation of power from RE sources in Karur / Tiruppur Wind Energy Zone (Tamil Nadu) (1000MW) under Phase-1”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. LILO of both circuits of Pugalur – Pugalur (HVDC) 400 kV D/c line (with Quad Moose ACSR conductor) at Karur PS.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns, and cities of Uttar Pradesh:

State: - Tamil Nadu

Name of villages	Tehsil	District
Mottakkalivalasu, Muttunayakkanur, Subramanyakavundanvalasu, Orambupalaiyam, Vattamalai Karai, Ganapatipalaiyam, Kumarapalaiyam, Servakaranpalaiyam, Pudur, Chettipalaiyam, Kattur, Kurichivalasu, Saravanakavundanvalasu, Andipalaiyam, Lakkamanayakkanpatti	Kangayam	Tiruppur
Mulappalaiyam, Kasturipalaiyam, Ganeshapudur, Kumbampalaiyam, Sendalaiyampalaiyam, Vadakkuvalasu, Annanagar, Thangamed, Nayakanpudur, Puduppai, Pattatipalaiyam, Lingamanayakanpalaiyam, Mulaiyampundi, Chinna Mulaiyampundi, Karaivalasu, Turambadi, Olappalaiyam, Gurunathankottai, Akkaraipalaiyam, Yellappalaiyam, Tottiyapalaiyam, Puliypatti, Vattakkalivalasu, Parakkadai, Ellappalaiyam, Nallaselipalaiyam, Palanikavundanvalasu, Karuppanvalasu, Naluroadu, Kumarayyapalaiyam, Sanarpalaiyam, Nattapalaiyam, Valliappankavundanvalasu, Kulandaikavundanvalasu, Peramiyam, Chinniyakavundanvalasu, Pammipalaiyam, Nainakavundanvalasu, Periyannakavundanvalasu, Uttamakavundanvalasu, Sambalatottam, Nattarmangalam, Tattaravalsu, Molakkavundanvalasu, Rakkiyavalsu, Puliypampatti, Talakkarai	Dharapuram	Tiruppur

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Karur Transmission Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years.
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines.

- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Karur Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./248/2022-23]